

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदा, प्रारूप एवं शर्तें।

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को UPSC द्वारा समय-समय पर आयोजित होनेवाली परीक्षाओं के लिए वातानुकूलित एवं गैर वातानुकूलित वाहनों की आवश्यकता है। इस निमित्त निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक एजेन्सी/वाहन मालिकों से मुहर बन्द निविदा(तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग लिफाफे में) आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. भाड़े का वाहन परीक्षा अवधि के दौरान प्रति घंटे/कि०मी० की दर पर (ईंधन, चालक एवं अन्य अनुमान्य कटौतियों यथा आयकर, जी०एस०टी० इत्यादि सहित) लिया जायेगा एवं वाहन का व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. एजेन्सी या मालिक के पास GST निबंधन तथा PAN का होना आवश्यक है। जिस एजेन्सी के पास GST का निबंधन नहीं है, वे भी निविदा दे सकते हैं परन्तु उन्हें निविदा में सफल होने पर कार्यादेश की तिथि से 20 दिनों के अन्दर GST निबंधन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. वाहन का किराया सभी कर एवं कटौती सहित संलग्न प्रारूप में देना होगा।
4. भाड़े के वाहन के रख-रखाव का दायित्व वाहन मालिक का होगा एवं चालक के पास प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राइविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा।
5. वाहन अल्प सूचना पर आवश्यकतानुसार ससमय उपलब्ध कराना होगा।
6. किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. परीक्षा संबंधी कार्यों में प्रयुक्त वाहनों में किसी प्रकार की कठिनाई/खराब होने की स्थिति में उसके बदले अविलम्ब दूसरी वाहन, जो पाँच साल से पुरानी नहीं हो, की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अतिरिक्त किराया नहीं दिया जायेगा।
8. वाहन से संबंधित कागजात यथा टैक्स/बीमा आदि मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अद्यतन होना चाहिए, जिसकी जिम्मेवारी पूर्णतया मालिक/एजेन्सी की होगी।
9. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी द्वारा उनके काली सूची में नहीं होने संबंधी का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. वाहन मालिक को वाहन किराये का भुगतान, अभिश्रव उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
11. निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेख स्वतः अभिप्रमाणित होने चाहिए तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संलग्न सभी अभिलेख सही है।

12. निविदा के साथ 2,000/रु0 बैंक ड्राफ्ट/चेक, जो "आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना" के नाम से भुगतये हो, संलग्न करना होगा। निविदा में असफल निविदा दाताओं को यह राशि लौटा दी जायेगी।
13. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी सभी वांछित अभिलेख सहित कम्प्यूटर टंकित आवेदन के साथ दिनांक 16.10.2017 को अपराह्न 01.00 बजे तक आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना कार्यालय में मुहरबंद लिफाफे में निविदा जमा कर सकते हैं। तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग-अलग बंद लिफाफे में होने चाहिए, जिस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी तथा वित्तीय निविदा तथा निविदादाता का नाम अंकित होना चाहिए। तकनीकी तथा वित्तीय निविदा के अलग-अलग लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा। इस लिफाफे पर भी निविदादाता का नाम और उद्देश्य अंकित होना चाहिए।
14. प्राप्त निविदा दिनांक 16.10.2017 को अपराह्न 03.00 बजे आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के सभाकक्ष में गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें वाहन मालिक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। एजेन्सी/मालिक निविदा खोलने के समय संलग्न अभिलेखों की मूल प्रति साथ लायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जमा किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रति के साथ किया जा सके।
15. निविदा समिति में सफल होने वाले निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
16. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को सुरक्षित रहेगा। अगर सेवा अनुकूल नहीं पायी जाती है तो उस एजेन्सी/वाहन मालिक को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
17. जिनके वाहन का दर न्यूनतम होगा उन्हें ही वाहन आपूर्ति करने का आदेश दिया जायेगा एवं यह एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक वर्ष के बाद सेवा संतोषप्रद रहने पर दोनों पक्षों की सहमति से एकरारनामा का अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना।

विहित-प्रपत्र

वाहन का प्रकार		दर (राशि रू0 में)					
		(ईंधन, चालक, रख-रखाव एवं अनुमान्य सभी कर सहित)					
		4घंटा/ (40 KM)	6घंटा/ (60 KM)	8घंटा/ (80 KM)	10 घंटा/ (100 KM)	अतिरिक्त प्रति कि०मी०	10 घंटा से अधिक अवधि होने पर प्रति घंटा की दर से
1. इनोवा	AC						
2. सफारी	AC						
3. सूमो	AC						
	Non/AC						
4. बोलेरो	AC						
	Non/AC						
5. स्कार्पियो	AC						
6. जाइलो	AC						
7. XUV	AC						
8. इंडिगो	AC						
9. स्वीफ्ट डिजायर	AC						

नोट :- तकनीकी निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों (छायाप्रति) की सूची :-

- (i) आवेदन
- (ii) PAN
- (iii) काली सूची में नहीं होने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र।
- (iv) संलग्न अभिलेख की सत्यता के संबंध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र।
- (v) 2000/-रुपये का बैंक ड्राफ्ट/चेक

निविदा दाता का हस्ताक्षर